क्रम-संख्या–196

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 19 सितम्बर, 2016

भाद्रपद 28, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1336 / 79-वि-1–16-1(क)17-2016
लखनऊ, 19 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 पर दिनांक 16 सितम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन)
(संशोधन) अधिनियम, 2016

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1979 की धारा 9 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 9 में,–

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(एक) मोटरयान अधिनियम, 1988; या";

(ख) उपधारा (2) में, शब्द और अंक "1 जनवरी, 1977" के स्थान पर शब्द और अंक "1 जनवरी, 2013" रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, सन् 1979) को, कतिपय अपराधों के शमन और कतिपय दण्ड विचारणों के उपशमन की व्यवस्था करने के लिये कतिपय केन्द्रीय अधिनियमितियों में संशोधन करने हेतु अधिनियमित किया गया है। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति पर यह विनिश्चय किया गया है कि दिनांक 1 जनवरी, 1977 से दिनांक 1 जनवरी, 2013 तक किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लम्बित कतिपय कार्यवाहियों के उपशमन की अवधि को बढ़ाने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) में संशोधन किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
रंगनाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

No. 1336(2)/LXXIX-V-1--16-1(ka)17-2016
Dated Lucknow, September 19, 2016

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dand Vidhi (Aparadhon Ka Shaman Aur Vicharanon ka Upshaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 29 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 16, 2016.

THE UTTAR PRADESH CRIMINAL LAW (COMPOSITION OF OFFENCES AND ABATEMENT OF TRIALS) (AMENDMENT) ACT, 2016

(U.P. Act no. 29 of 2016)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh criminal law (Composition of offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-seventh year of the Republic of India as follows:-

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Criminal law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of section 9 of U.P. Act no. 35 of 1979

2. In section 9 of the Uttar Pradesh Criminal law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979,-

(a) in sub-section (1), in clause (a) for sub-clause (i) the following sub-clause shall be *substituted*, namely :-

" (i) the Motor Vehicles Act, 1988; or";

(b) in sub-section (2), for the word and figures "January 1, 1977" the word and figures "January 1, 2013" shall be *substituted*.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979 (U.P. Act no. 35 of 1979) has been enacted to amend certain Central enactments to provide for the composition of certain offences and for abatement of certain criminal trials. On the recomandation of the High Court of Judicature at Allahabad it has been decided to amend sub-section (2) of section 9 of the said Act to extend the period for abatement of certain Proceedings pending before a Magistrate from January 1, 1977 to January 1, 2013.

The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Bill, 2016 is introduced accordingly.

By order,
RANG NATH PANDEY,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 407 राजपत्र (हि0)–2016–(972)–599 प्रतियाँ (डी0टी0पी0 / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 99 सा0 विधायी–2016–(973)–300 प्रतियाँ (डी0टी0पी0 / आफसेट)।